<u>न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट</u> (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा)

<u>दा0 प्रक0 क0—1313 / 15</u> संस्थित दिनांक 28.12.2015 फा.नंबर—234503015302015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा, जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

<u>विरुद्ध</u>

रमेश राहंगडाले पिता स्व. बारेलाल राहंगडाले उम्र–55 साल, निवासी अजगरा थाना बिरसा जिला बालाघाट (म0प्र0)।

.....अभियुक्त।

-:: <u>निर्णय</u> ::-

-:: **दिनांक 24.10.2017** को घोषित ::-

- 01. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 02.12.2015 को समय 8:00 बजे से 22.10 बजे के बीच स्थान अजगरा थाना बिरसा अंतर्गत अपने नियंत्रण व मालिकी की तरूण राईस मिल से उचित देख—रेख व व्यवस्था करने में उपेक्षा या सुरक्षा में उतावलेपन से कार्य करने से उक्त राईस मिल की चक्का साफ्ट से श्रीमती बुधकुंवर धुर्वे की मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना कोतवाली से मर्ग कम्राक 40 / 15 धारा—174 जा.फौ. की मर्ग डायरी जांच असल कायमी बाबद थाना बिरसा में प्राप्त होने पर प्र.आर. 583 सोमलाल कावरे द्वारा असल मर्ग कायम किया गया, प्र.आर.650 द्वारा मर्ग जांच दौरान कथनों के आधार पर राईस मिल ग्राम अजगरा के मिल मालिक रमेश राहंगडाले के द्वारा राईस मिल में आटा चक्की, मिर्ची पिसाई चक्की मशीन का लापरवाहीपूर्वक बगैर सुरक्षा इंतजाम का पालन करते हुये चक्की का संचालन करते पाये गये, जिसके कारण मृतिका बुधकुंवरबाई की साड़ी, वायल चक्का साफ्ट में फंसकर गिरने से गंभीर चोट लगने से उपचार के दौरान मृत्यु हुई। मिल मालिक रमेश राहंगडाले का कृत्य धारा—304ए ता.हि. का पाये जाने पर असल अपराध क.127 / 15 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका—नक्शा, पी.एम. रिपोर्ट की कार्यवाही गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र क.123 / 15 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार किया। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों को अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा—313 जा०फौ० में अस्वीकार किया है। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर उसका बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने बचाव में साक्ष्य पेश नहीं की।

04. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01.क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.12.2015 को समय 8:00 बजे से 22.10 बजे के बीच स्थान अजगरा थाना बिरसा अंतर्गत अपने नियंत्रण व मालिकी की तरूण राईस मिल से उचित देखरेख व व्यवस्था करने में उपेक्षा या सुरक्षा में उतावलेपन से कार्य करने से उक्त राईस मिल की चक्का साफ्ट से श्रीमती बुधकुंवर धुर्वे की मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है ?

-:सकारण निष्कर्ष:-

साक्षी बसनबाई अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानती है। घटना करीब एक साल पूर्व ग्राम अजगरा की है। घटना के समय बुद्धकुवरबाई को चोट लगी थी, जिसके बाद उसे ईलाज हेतू बालाघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ईलाज के दौरान बुद्धकुंवरबाई की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसे नहीं पता कि बृद्धकुंवरबाई को कैसे चोटें आयी थी। उसने पुलिस को घटनास्थल नहीं बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि घटना दिनांक 02.12.15 की है या नहीं। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय वह बुद्धकुंवरबाई के साथ चना दाल पिसाने ग्राम अजगरा मील में गयी थी, उसकी दाल पिसने के कारण वह बाहर खड़ी हो गयी थी और बुद्धकुंवरबाई अपनी मिर्ची पिसाने के लिए पिसाई मशीन के पास खड़ी थी, आरोपी रमेश राहंगडाले मशीन चलाकर मिर्ची पिसाई कर रहा था, अचानक आवाज आने पर उसने अंदर जाकर देखी तो बुद्धकुवरबाई की साड़ी मशीन के सामने साफ्ट में फंस गयी थी, बुद्धकुंवरबाई गिर गयी थी और उसकी साड़ी पूरी कस गयी थी तथा वह बेसुध हो गयी थी, वहां उपस्थित लोगों ने उसे चक्का साफट से निकालकर बिरसा अस्पताल ईलाज हेतू ले गये थे, जिनके साथ वह भी गयी थी, बिरसा अस्पताल में बुद्धकुंवरबाई के लड़के बैरागसिंह उसकी घरवाली मथुराबाई भी आ गये थे जिन्हें उसने पूरी घटना बतायी थी, बुद्धकुवरबाई को चोट तरूण राईस मिल में

चक्का साफट में फसने से लगी थी, मिल मालिक आरोपी रमेश राहंगडाले ने अच्छे ढंग से मशीन नहीं लगाया है और न ही मशीन के पास कोई सुरक्षा जाली लगाया है, यदि सुरक्षा जाली लगी होती तो बुद्धकुवरबाई की साड़ी मशीन में नहीं फसती, मिल मालिक रमेश राहंगडाले ने लापरवाहीपूर्वक मशीन को चलाया, जिससे बुद्धकुवरबाई की मौत हुई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी. 05 पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था, परंतु यह स्वीकार किया है कि मौका—नक्शा प्र.पी.06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह आरोपी को गांव का होने के कारण पहचानती है।

06- 🤏 साक्षी जतनलाल अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सूझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 02.12.15 सुबह के समय तरूण राईस मिल ग्राम अजगरा की है, जिसे आरोपी चला रहा था, घटना के समय ग्राम रेलवाही की दो महिलायें पिसायी कराने के लिए आयीं थी और वह धान पिसवाकर चावल भूसा जमा रहा था, तभी पिसायी मशीन तरफ से जोर से आवाज होने पर उसने जाकर देखा तो मिर्ची पिसवाने वाली महिला की साडी मशीन के सामने लगे लोहे के साफट चक्का पटटा में फंस गयी थी, जांघ तरफ साडी लिपटकर कस गयी थी, तब उसने अन्य महिला और मिल मालिक आरोपी ने उसे चक्का साफट से निकाला, पास में खड़ी महिला ने उसे बताया कि आहत बूधकुवरबाई है, जो कुछ ढंग से बोल नहीं पा रही थी तथा जांघ कमर में अंदरूनी चोट लगी होने के कारण खड़ी नहीं हो पा रही थी, तब आरोपी अपनी गाड़ी बुलाकर उसे बिरसा अस्पताल ले गया था, आरोपी ने अपनी राईस मिल में मशीन पटटा चक्के के पास किसी प्रकार की कोई सुरक्षा जाली नहीं लगायी है और यदि जाली लगी होती तो यह घटना नहीं होती, आरोपी लापरवाही से मशीन चला रहा था, जिससे महिला को चोट लगी और बाद में बालाघाट अस्पताल में फौत हो गयी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.10 पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी को गांव पड़ौसी होने के कारण जानता है, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना ही वह घटनास्थल पर उपस्थित था।

साक्षी बैरागसिंह अ.सा.०१ ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह सात बजे ग्राम अजगरा की है। उसे करीब दस बजे गांव के लोचनसिंह ने आकर बताया कि उसकी मां बुद्धकुवरबाई के साथ दुर्घटना हुई है। जिसके बाद वह बिरसा अस्पताल पहुंचा, जहां से उसकी मां को बालाघाट रिफर कर दिये थे। बाद में ईलाज के दौरान मिताली अस्पताल में उसकी मां की मृत्यू हो गयी थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की है और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों अस्वीकार किया कि लोचनसिंह और उसकी मौसी बसनबाई ने उसे बताया था कि उसकी मां बुद्धकुवरबाई को तरूण राईस मिल अजगरा में मिर्ची पिसाते समय चक्की में फंसकर चोट लगी है, तरूण राईस मिल के मालिक आरोपी तरूण राहंगडाले ने मशीन के आस–पास सुरक्षा जाली न लगाकर सुरक्षित ढंग से मशीन को नहीं लगाया और लापरवाही से मशीन को चलाया, जिससे मशीन साफट में फसने से चोट लगने के कारण उसकी मां की मृत्यू हुई थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष बृद्धकुवरबाई का नक्शा पंचनामा प्र.पी01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसने बुद्धकुवरबाई का शव सुपुर्दनामा पर लिया था जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र. पी03 पुलिस को देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने जो आरोपी के पहचान के संबंध में बताया है, वह उसके गांव का होने के कारण बताया है।

08— साक्षी मथुराबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह के समय ग्राम अजगरा की है। करीब दस बजे गांव के लोचनिसंह ने आकर बताया कि उसकी सास बुद्धकुवरबाई के साथ दुर्घटना हुई है। जिसके बाद वह बिरसा अस्पताल पहुंचे, जहां से उसकी सास को बालाघाट रिफर कर दिये थे। बाद में ईलाज के दौरान मिताली अस्पताल में उसकी सास की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की है और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि लोचनिसंह और बसनबाई ने बताया था कि उसकी सांस बुद्धकुवरबाई को तरूण राईस मिल अजगरा में मिर्ची पिसाते समय चक्की में फसने से चोट लगी है, तरूण राईस मिल के मालिक आरोपी तरूण राहंगडाले ने मशीन के आसपास सुरक्षा जाली न लगाकर सुरक्षित ढंग से मशीन को नहीं लगाया और लापरवाही से मशीन को चलाया, जिससे मशीन साफट में फसने से चोट लगने के कारण उसकी मां की मृत्यु हुई, किन्तु यह स्वीकार

किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष बृद्धकुवरबाई का नक्शा पंचनामा प्र.पी01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी04 पुलिस को देने से इंकार किया।

साक्षी चन्द्रपाल अ.सा.०६ ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे दस्तखत करने को कहा था, इसलिए उसने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायतनामा, जप्ती तथा गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष बुधकुंवरबाई का नक्शा पंचायतनामा बनाया था, परंतु यह स्वीकार किया है कि पंचायतनामा प्र. पी.01 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसके समक्ष बैरागसिंह ने मृतक बुधकुंवरबाई के शव को सुपूर्वनामा पर लिया था, परंतु यह स्वीकार किया हैं कि सुपूर्दनामा प्र.पी.02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष मिर्ची पीसने की मशीन का मोटर साफट, आटा चक्की से संबंधित रोजगार जिला उद्योग कार्यालय बालाघाट का पत्र, प्रस्ताव पंजीयन जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.07 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक बनाया था, परंतु यह स्वीकार किया है कि गिरफतारी पत्रक प्र.पी.08 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष जप्तश्रदा पीसने की मशीन के मेन साफट का हिफाजतनामा तैयार किया था, परंत् यह स्वीकार किया है कि हिफाजतनामा प्र.पी.09 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.01, 02, 07, 08 एवं 09 पर उसने पुलिसवालों के कहने पर थाने में बैठकर हस्ताक्षर किया था, आरोपी को गांव पास का होने के कारण जानता है, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना ही वह घटनास्थल पर उपस्थित था।

10— साक्षी चैनसिंह अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष कोई हिफाजतनामा भी तैयार नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी रमेश राहंगडाले से तरूण राईस मिल अजगरा में मिर्ची पीसने की मशीन को संचालित करने वाली मोटर तथा आटा चक्की से संबंधित रोजगार जिला

उद्योग कार्यालय बालाघाट का पत्र जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफतारी पत्र बनाया था, परंतु गिरफतारी पत्रक प्र.पी.08 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष जप्तशुदा पीसने की मशीन के मेन साफ्ट का हिफाजतनामा तैयार किया था, परंतु यह स्वीकार किया है कि हिफाजतनामा प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.07 लगायत प्र.पी.09 के दस्तावेजों पर थाने में बैठकर हस्ताक्षर किये थे, उक्त दसतावेजों पर उसने हस्ताक्षर पुलिसवालों के कहने पर किये थे, वह आरोपी को गांव का होने के कारण पहचानता है।

- 11— साक्षी हेवेन्द्र कुमार अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसने किसी चक्की को हिफाजतनामा पर नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 11.12.2015 को ग्राम अजगरा में पुलिस ने आरोपी रमेश से आटा मिर्च पिसने वाली मशीन का मेन साफ्ट जप्त कर गवाहों के समक्ष उसे हिफाजतनामा पर दिया था, परन्तु यह स्वीकार किया है कि हिफाजतनामा प्र.पी09 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे।
- 12— साक्षी सुरेश नागेश्वर अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 10. 12.2015 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मर्ग क्रमांक 40 / 15 धारा—174 जा.फो. की मृतिका बुधकुंवरबाई की मर्ग जांच हेतु डायरी कोतवाली बालाघाट से उसे प्राप्त हुई थी। डायरी प्राप्त होने के पश्चात उसके द्वारा साक्षी बैरागसिंह, मथुराबाई, चक्षुदर्शी साक्षी बसनबाई, जतनलाल पंचतिलक के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिनांक 02.12.2015 को तरूण राईस मिल अजगरा में सुबह करीब 8:00 बजे बुधकुंवरबाई की वायल मशीन के चका सॉफ्ट में फंस गई थी, जिससे वह बेहोश हो गई थी, जिसे बिरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मर्ग जांच के दौरान उसके द्वारा दिनांक 10.12.2015 को मील मालिक आरोपी रमेश राहंगडाले के विरुद्ध धारा—304ए भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- साक्षी सुरेश नागेश्वर अ.सा.०८ के अनुसार दिनांक 11.12.2015 को उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर गवाह बसनबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त मशीन का लोहे का सॉफ्ट एवं मशीन के तीन कांगजात गवाह चैनसिंह मरकाम एवं चंद्रपाल राहंगडाले के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। लोहे का सॉफ्ट जंघम संपत्ति होने पर हेमेन्द्र राहंगडाले को हिफाजतनामे पर दिया था, जो प्र.पी.09 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही मील मालिक को नोटिस दिया गया था. जो प्र.पी.12 है. जिसमें उसने बताया था कि घटना के समय मशीन को वह स्वयं चला रहा था। उक्त नोटिस के ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी रमेश राहंगडाले के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गवाह चैनसिंह मरकाम एवं चंद्रपाल राहंगडाले के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन मेरे द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- 14. साक्षी सुरेश नागेश्वर अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि बैरागिसंह, मथुराबाई, बसनबाई, जतनलाल पंचितलक ने उसे कथन नहीं दिये थे और उसने उनके कथन अपने मन से लेख कर लिये थे, उसके द्वारा गवाह चद्रपाल एवं चैनिसंह के समक्ष कोई जप्ती नहीं की गई थी, उसने उक्त गवाहों के सामने जप्तशुदा संपत्ति हेमेन्द्र राहंगडाले को हिफाजतनामे पर नहीं दिया था, उसने आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया है, उसे उक्त गवाहों ने दिनांक 02.12.2015 को तरूण राईस मिल अजगरा में सुबह करीब 8:00 बजे बुधकुंवरबाई की वायल मशीन के चका सॉफ्ट में फंस गई थी, जिससे वह बेहोश हो गई थी, जिसे बिरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, के कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.12 का दस्तावेज आरोपी रमेश राहंगडाले ने लिखकर नहीं दिया था और उसने अपने मन से लेख कर लिया था।
- 15. प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा मृतिका की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श सी—1 को स्वीकार किया है, जिससे उक्त मृतक की मृत्यु के कारणों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को कारित दुर्घटना में आरोपी की पिसाई चक्की मशीन में बुधकुंवरबाई की मृत्यु

हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। "परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है" के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा अपने नियंत्रण व मालिकी की तरूण राईस मिल से उचित देखरेख व व्यवस्था करने में उपेक्षा या सुरक्षा में उतावलेपन से कार्य करने से उक्त राईस मिल की चक्का साफ्ट से श्रीमती बुधकुंवर धुर्वे की मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नही आती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत—Bijuli Swain Vs. State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है।

- **16.** अतः अभियुक्त रमेश राहंगडाले को भा.दं०सं० की धारा—304ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति जंगम संपत्ति होने से हेमेन्द्र पिता गणेश राहंगडाले को हिफाज़तनामा पर दी गई है। हिफाज़तनामा अपील अवधि के पश्चात हिफाज़तदार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 19. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)